

रजिस्ट्रार जनरल राजपूर बरकात
ब्राह्मण 72, मुम्बई - 401 005

आदि प्राथमिक अदालत अहमदाबाद नामक
दरवाजे में कामकाज रहे ही - अदालत में
आरी एकपत्रीय अदालत को समाप्त
हिया जा सकल ही इस पत्रावली में अहमदा
दि 12/05/25 में एकपत्रीय अदालत
अहमदा निषेध जारी की गई है एवं अहमदा
में प्राथमिक अदालत को यह स्पष्ट हिया गया
था कि आदि तीन दिवस में सफाई
तकली पैश नहीं की जाती है तो अहमदा
निषेध खारिज की जावे प्राथमिक अदालत
अहमदा दिनांक तक सफाई तकली पैश
नहीं की गई है एवं अदालत अहमदा
निषेध भी एकपत्रीय जारी की गई है किंतु
अहमदा अदालत तामील पैश नहीं हिया
जाने से - अदालत हाजा हाय जारी
अदालत अहमदा निषेध दिनांक 12/05/25
खारिज की जाती है पत्रावली दिनांक
03/06/25 को पैश है

188
24/5/25

सहायक अधिकारी
बिकराय जिला दोसा

26/25

पत्रावली पैश/ वकील प्राथमिक अदालत पत्रावली में पैश
हैतू खुले न्यायालय में बार-बार डावाज लगाई
गई लेकिन कोई भी हाजिर नहीं आया। उक्त
पत्रावली अदालत पैश हाजिर हाजिरी में खारिज
की जाती है।

उपस्थित अधिकारी
बिकराय जिला दोसा